भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2884
(18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्ति

2884. श्री अरविंद गणपत सावंत:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ऐसे मिशन के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन हेतु सहायता को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क): यह मंत्रालय दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई – एनआरएलएम) को देशभर (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) में कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना और समय के साथ आय में पर्याप्त वृद्धि प्राप्त करने तथा उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और घोर गरीबी से बाहर आने तक उन्हें लगातार मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना है।

दिनांक 28 फरवरी 2025 तक, इस मिशन को 28 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 745 जिलों के 7144 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है। संचयी रूप से, 10.05 करोड़ ग्रामीण महिला परिवारों को 90.90 लाख से अधिक एसएचजी में संगठित किया जा चुका है। एसएचजी और उनके संघों को कुल 51368.39 करोड़ रुपए की पूंजीकरण सहायता (रेवोलविंग फ़ंड और कम्यूनिटी इनवेस्टमेंट फ़ंड) प्रदान की गई है। वित्त वर्ष 2013-14 से डीएवाई-एनआरएलएम के तहत महिला एसएचजी को 10.20 लाख करोड़ रुपए का बैंक ऋण प्राप्त हुआ है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लक्ष्य और उपलब्धियां **अनुबंध** में दी गई हैं।

(ख): ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत डीएवाई-एनआरएलएम योजना ने महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए विपणन सहायता को सुदृढ़ करने हेतु अनेक उपाय किए हैं। इसमें शहरी बाजारों में एसएचजी उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर आयोजित किए जा रहे सरस मेले शामिल हैं। इस मंत्रालय ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) के सहयोग से एसएचजी उत्पादों के विपणन के लिए (GeM) में स्टोर फ्रंट के रूप में "सरस कलेक्शन" बनाया है। इसके अलावा, मंत्रालय ने फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, अमेज़न और फैशनियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (मीशो) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ताकि कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों सहित स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के उत्पादों के विपणन के लिए फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम, अमेज़ॅन सहेली पहल और मीशो के माध्यम से राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने की सुविधा मिल सके। एसएचजी उत्पाद के ऑनबोर्डिंग और मार्केटिंग के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और जियोमार्ट के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। एसएचजी उत्पादों के ऑनलाइन विपणन के लिए इस मंत्रालय द्वारा एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (www.esaras.in) भी शुरू किया गया है। इसके अलावा, ई-सरस ओएनडीसी पर सेलर नेटवर्क भागीदार के रूप में भी उपलब्ध है। महिला एसएचजी के क्यूरेटेड उत्पाद अब ओएनडीसी नेटवर्क के 11 ऐप अर्थात पेटीएम, माय-स्टोर, क्राफ्ट्सविला, जागरण, स्नैपडील, नोवो-पे, ईजी-पे, गोनुक्ली, रूबरू, मैपल्स, हिमीरा आदि पर भी उपलब्ध हैं

*****

अनुबंध – डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों के संबंध में लोक सभा में दिनांक 18.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2884 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए डीएवाई-एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूहों को प्रदान की गई पूंजीकरण सहायता की राशि का राज्य-वार लक्ष्य और उपलब्धि (रुपए लाख में)			
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि (28.02.25 तक)**
1	असम	7,174	14,181
2	नागालैंड	1,667	2,971

3	उत्तराखंड	3,667	6,291
4	पश्चिम बंगाल	52,000	81,404
5	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	150	223
6	हिमाचल प्रदेश	1,528	1,986
7	त्रिपुरा	7,081	9,125
8	छत्तीसगढ़	15,899	19,977
9	ओडिशा	20,395	25,614
10	बिहार	96,389	1,05,132
11	उत्तर प्रदेश	1,14,137	1,23,326
12	लद्दाख	247	263
13	जम्मू और कश्मीर	2,567	2,668
14	गुजरात	15,690	16,179
15	महाराष्ट्र	53,183	54,719
16	गोवा	601	602
17	कर्नाटक	22,167	21,679
18	मेघालय	7,519	6,072
19	तमिलनाडु	24,682	18,362
20	मणिपुर	5,719	3,908
21	झारखंड	41,919	27,606
22	राजस्थान	30,475	20,021
23	अरुणाचल प्रदेश	2,232	1,327
24	पुदुचेरी	744	420
25	मध्य प्रदेश	54,900	25,590
26	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	233	103
27	पंजाब	5,140	2,090
28	केरल	4,539	1,814
29	मिजोरम	958	357
30	तेलंगाना	1,505	453
31	हरियाणा	6,675	1,918
32	लक्षद्वीप	43	12
33	आंध्र प्रदेश	2,989	650
34	सिक्किम	978	32
	कुल	**6,05,787**	**5,97,075**

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए स्वयं सहायता समूहों को संवितरित ऋण राशि का राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धि (लाख रुपए में)			
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धि (दिनांक 28.02.25 तक)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	200	99
2	आंध्र प्रदेश	32,19,000	34,83,725
3	अरुणाचल प्रदेश	4,000	3,093
4	असम	4,10,000	4,64,206
5	बिहार	15,58,000	8,79,591
6	छत्तीसगढ़	2,14,000	1,98,214
7	गोवा	5,000	5,570
8	गुजरात	1,22,000	55,174
9	हरियाणा	49,000	49,567
10	हिमाचल प्रदेश	30,000	17,096
11	जम्मू और कश्मीर	60,000	43,563
12	झारखंड	3,30,000	3,97,269
13	कर्नाटक	3,53,000	16,18,013
14	केरल	7,63,000	4,49,610
15	लद्दाख	100	74
16	लक्षद्वीप	100	49
17	मध्य प्रदेश	3,35,000	3,24,258
18	महाराष्ट्र	6,38,000	8,25,995
19	मणिपुर	5,000	3,281
20	मेघालय	15,000	10,108
21	मिजोरम	5,000	1,391
22	नागालैंड	5,000	4,566
23	ओडिशा	8,20,000	10,78,827
24	पुदुचेरी	15,000	16,996
25	पंजाब	20,000	13,085
26	राजस्थान	2,55,000	2,15,392
27	सिक्किम	5,000	5,100
28	तमिलनाडु	11,55,000	14,11,090
29	तेलंगाना	16,10,000	16,88,421

30	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	600	75
31	त्रिपुरा	40,000	47,700
32	उत्तर प्रदेश	2,50,000	2,50,522
33	उत्तराखंड	30,000	37,304
34	पश्चिम बंगाल	19,90,000	21,87,156
	कुल	**1,43,11,000**	**1,57,86,181**

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ऐग्रो इकोलोजिकल प्रेक्टिसेज (AEP) के तहत राज्यवार लक्ष्य और महिला किसानों की उपलब्धियां तथा ऐसी महिला किसान जिनके पास एग्री-न्यूट्री गार्डन (ANG) हैं

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**एईपी (AEP) के तहत महिला किसान**		**एग्री-न्यूट्री गार्डन (ANG) वाले महिला किसान परिवार**	
		लक्ष्य	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**
1	अंडमान और निकोबार	2,000	734	8,000	1,638
2	आंध्र प्रदेश	8,50,000	10,43,085	1,50,000	1,13,150
3	अरुणाचल प्रदेश	80,000	42,396	90,000	32,738
4	असम	3,50,000	4,29,920	5,00,000	5,13,045
5	बिहार	6,00,000	8,23,463	2,00,000	5,50,041
6	छत्तीसगढ़	2,10,000	1,82,239	2,10,000	1,77,044
7	गोवा	660	982	330	826
8	गुजरात	2,50,000	2,22,360	2,50,000	2,19,500
9	हरियाणा	20,000	22,411	20,000	26,285
10	हिमाचल प्रदेश	70,000	92,301	1,00,000	1,04,553
11	जम्मू और कश्मीर	1,05,335	1,00,501	1,05,000	74,019
12	झारखंड	2,32,000	1,19,924	1,00,000	65,024
13	कर्नाटक	5,00,000	8,08,241	4,50,000	4,67,985
14	केरल	2,00,000	1,58,140	3,00,000	3,68,789
15	लद्दाख	2,200	444	2,500	612
16	मध्य प्रदेश	1,50,000	1,90,640	3,00,000	2,68,946
17	महाराष्ट्र	8,00,000	12,97,051	3,00,000	3,33,254
18	मणिपुर	38,478	9,706	19,734	3,666
19	मेघालय	80,750	73,255	54,510	48,039
20	मिजोरम	4,320	4,937	5,590	7,111
21	नागालैंड	30,000	17,359	30,000	17,006

22	ओडिशा	5,00,000	89,391	10,00,000	1,60,664
23	पुदुचेरी	10,000	2,833	56,000	3,450
24	पंजाब	34,000	48,239	34,000	49,133
25	राजस्थान	6,00,000	9,33,294	2,00,000	1,88,241
26	सिक्किम	5,000	3,739	5,000	250
27	तमिलनाडु	3,00,000	2,30,092	1,00,000	71,251
28	तेलंगाना	4,00,000	7,38,936	4,00,000	3,62,112
29	त्रिपुरा	80,000	81,948	50,000	68,065
30	उत्तराखंड	80,000	95,703	75,000	1,02,537
31	उत्तर प्रदेश	7,00,000	11,37,950	16,00,000	5,88,356
32	पश्चिम बंगाल	3,00,000	4,35,704	3,00,000	1,51,642
	कुल	**75,84,743**	**94,37,918**	**70,15,664**	**51,38,972**

2024-25 में एसवीईपी के तहत सहायता प्राप्त उद्यमों की संख्या का राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धि

क्र.सं.	राज्य	लक्ष्य	उपलब्धि (28.02.25 तक)
1	आंध्र प्रदेश	0	30
2	अरुणाचल प्रदेश	300	107
3	असम	10200	9,557
4	बिहार	4300	1,614
5	छत्तीसगढ़	2,251	1,796
6	गोवा	1152	1,002
7	गुजरात	0	0
8	हरियाणा	0	684
9	हिमाचल प्रदेश	706	612
10	जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)	1,376	1,009
11	झारखंड	2051	1,214
12	कर्नाटक	680	291
13	केरल	6952	5,802
14	मध्य प्रदेश	2,200	1,837
15	महाराष्ट्र	2,220	1,702
16	मणिपुर	700	694
17	मेघालय	616	354
18	मिजोरम	1769	946

19	नागालैंड	851	29
20	ओडिशा	1,301	0
21	पंजाब	1,194	802
22	राजस्थान	2,452	1,993
23	सिक्किम	400	279
24	तमिलनाडु	1,429	1,076
25	तेलंगाना	2,827	1,797
26	त्रिपुरा	1528	1,207
27	उत्तर प्रदेश	3,850	2,831
28	उत्तराखंड	960	696
29	पश्चिम बंगाल	7,180	4,933
	कुल	**61,445**	**44,894**

*****

,.